(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1916–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–210/निगरानी/2005–06.

.....

अजय प्रसाद पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद
निवासी–डगरदुआ तह0, सिरमौर,
जिला–रीवा, म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

प्रकाश चन्द पुत्र श्री शिवमूर्ती प्रसाद
निवासी–डगरदुआ तह0, सिरमौर,
जिला–रीवा, म0प्र0

————अनावेदक

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, उक्त विवादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी भगवानदीन थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में वसियतनामा आवेदक अजय प्रसाद के नाम लिख दिया गया। उक्त वसीयत के आधार पर आवेदक अजय प्रसाद पुत्र वैद्यनाथ अनावेदक प्रकाश चन्द्र द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 109–110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं विधिवत उद्घघोषणा जारी की गई एवं इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, वसीयत के साक्षियों के कथन लिये गये। समस्त वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुये दिनांक 05.04.2000 को नामांतरण आदेश पारित किया गया किन्तु अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष भूमि सर्वे क्र0 65, 66, 67 एवं 104/1 के खसरा सुधार कर

कॉलम क्र0 12 में कब्जा दर्ज करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्र0क्र0 45/ए-6-ए/2003-04 पर पंजीबद्ध किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार सिरमौर द्वारा कब्जा सुधार के संबंध में कोई कार्यवाही न करते हुये नामांतरण संबंधी आदेशों का हवाला देकर नामांतरण बावत आदेशित प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिनांक 07.01.2005 पारित किया गया, जिसके अनुसार सुधार के संबंध में न तो कोई विवेचना की गई और न ही उस विषय में कोई आदेश दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 109/अ-6-अ/2004-05 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 25.04.2005 से स्वीकार की गई, किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्र0क्र0 491/अ-6-अ/2004-05 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 15.12.2005 से अस्वीकार कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 20.11.2007 से स्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी आवेदक अजय प्रसाद पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद थे, जिनके द्वारा तहसील न्यायालय सिरमौर के समक्ष एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम डगरदुआ के आ0क्र0 104 रकबा 0.70 एकड़ 67 रकबा 0.30 एकड़, 68 रकबा 3.26 एकड़ किता 3 कुल रकबा 4.26 एकड़ जिसके भूमिस्वामी भगवानदीन है जो फौत हो चुके है। उन्होंने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि का वसियतनामा अजय कुमार पुत्र बैद्यनाथ के नाम कर दिया है। अतः वसियत के वसियत के अनुसार नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया तथा समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आई। मूल वसियत पत्र साक्षी रामवतार एवं साक्षी महावीर प्रसाद के कथन कराये गये तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन मंगाया गया तथा समस्त विधि प्रक्रिया का पालन करते हुये नामांतरण आदेश दिनांक 05.04.2000 स्वीकार किया गया । भूमिस्वामी अभिलेख में दर्ज है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा सुधार के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेते हुये नामांतरण संबंधी आदेशों का हवाला देकर नामांतरण बावत आदेशित प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिया गया । जबकि

कब्जा सुधार के संबंध में न तो कोई विवेचना की गई और न ही उस विषय कोई आदेश दिया गया । नामांतरण संबंधी आदेशो को प्रविष्टियां सुधारने का आदेश आवेदन से भिन्न होने के मनमाने ढंग से पारित किया गया। इसके संबंध में न तो काई अनुतोष चाहा गया और न ही इस संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विवादित भूमि के भूमिस्वामी आवेदक स्वयं है । उक्त भूमि आवेदक को भगवानदीन द्वारा जर्ये वसियत पत्र द्वारा दी गई। जिस पर आवेदक निरंतर खेती कर फसल ले रहा है, किन्तु आवेदक को परेशान करने के आशय से अनावेदक द्वारा प्रकरण चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर, रीवा में अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 109/अ–6–अ/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2005 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 23.05.2005 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 04.07.2005 को पंजीबद्ध किया जाकर मूल प्रकरण आहूत किया गया तथा अनावेदक को तलब व मूल प्रकरण आने पर स्थंगन पर विचार किये जाने हेतु आदेशित किया गया । दिनांक 10.08.2005 को मूल प्रकरण प्राप्त हुआ और अनावेदक के द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन–पत्र देकर न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया लेकिन दिनांक 22.0905 को अंतिम तर्क सुनकर निगरानीधीन ग्राह्यता पर स्वीकार की जा चुकी थी तथा अभिलेख मंगाकर अनावेदक को तलब भी किया जा चुका था तो पुनः प्रचलनशीलता पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया जा सकता । यहां एक विचारणीय बिन्दु यह था कि दिनांक 04.07.2005 को पूर्व पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण को पंजीबद्ध कर लिया था तो उसक आदेश को निरस्त करने के पूर्व वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति लेनी आवश्यक थी जो इस प्रकरण में नहीं ली गई है। कोई भी अपील/निगरानी जब ग्राह्यता पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होती है तो उसी समय प्रचलनशीलता पर विचार किया जाना चाहिये । प्रकरण में गुणदोष पर तर्क सुनने के

पश्चात गुणदोष पर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये। अधीनस्थ अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश कतई स्थिर रखे योग्य नहीं है। अपर आयुक्त रीवा ने इसी स्तर पर अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 20.11.2007 विधिसंगत है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,